किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 दिसम्बर 2012

क्र. डी-15-25-2012-चौदह-3.—

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव,
   म. प्र. शासन,
   खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
   मंत्रालय, भोपाल.
2. अपर मुख्य सचिव, सह कृषि उत्पादन आयुक्त,
   म. प्र. शासन, मंत्रालय, भोपाल.
3. प्रमुख सचिव,
   माननीय मुख्यमंत्री, म. प्र. शासन,
   मंत्रालय, भोपाल.
4. प्रमुख सचिव,
   म. प्र. शासन, सहकारिता विभाग,
   मंत्रालय, भोपाल.
5. प्रबंध संचालक,
   म. प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड
   पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स, भोपाल.
6. प्रबंध संचालक,
   म. प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, (मार्कफेड)
   जहांगीराबाद, भोपाल.
7. प्रबंध संचालक,
   म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
   26-अरेरा हिल्स, किसान भवन, भोपाल.
8. क्षेत्रीय महाप्रबंधक,
   भारतीय खाद्य निगम,
   चेतक भवन, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल.

विषय.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 40-क(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों को समर्थन मूल्य पर प्राधिकृत अभिकरण, संस्था या एजेन्सी के द्वारा उपार्जित अधिसूचित कृषि उपज के संदर्भ में मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 31, 32, 19(6) एवं मंडी समितियों के लिये उपविधि सन् 2000 की कण्डिका 20(10) अंतर्गत अपनाई जाने वाली प्रक्रिया बाबत् निर्देश.

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 (यथा मंडी अधिनियम) की धारा 31 के अंतर्गत मंडी कृत्यकारी के रूप में कार्य करने हेतु अनिवार्यता का उल्लेख है तथा अधिनियम की धारा 19(6) के अनुसार अधिसूचित कृषि उपज को मंडी प्रांगण, मूल मंडी या मंडी क्षेत्र से हटाये जाने के प्रावधानों का उल्लेख किया गया है.

(2) मंडी अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (3)(1)(एक) एवं 19 की उपधारा (3)(1)(दो) के अनुसार निर्दिष्ट मंडी फीस किसी अधिसूचित कृषि उपज पर एक से अधिक बार उद्ग्रहित नहीं की जायेगी.

(3) मंडी अधिनियम की धारा 6 के प्रथम परन्तुक (क) (पांच) में प्राधिकृत उचित मूल्य की दुकान के दुकानदार द्वारा केन्द्र शासन या राज्य शासन की प्राधिकृत संस्था से लोक वितरण पद्धति से आवश्यक वस्तुओं के वितरण करने के लिये क्रय की गयी अधिसूचित कृषि उपज पर अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होंगे, का उल्लेख है.

(4) राज्य सरकार के द्वारा समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि जिन्स क्रय करने हेतु अपनाई जा रही प्रक्रिया अन्तर्गत मुख्य रूप से भारतीय खाद्य निगम, मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को प्राधिकृत संस्था के रूप में नियुक्त किया जाता है.

(5) राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, संस्था या एजेन्सी के द्वारा अधिसूचित कृषि उपज के क्रय का कार्य प्राथमिक/वृहत्ताकार कृषि साख सेवा सहकारी समितियों अथवा विपणन सहकारी समितियों को अपना एजेन्ट नियुक्त कर किया जाता है तथा इन संस्थाओं के द्वारा अपने क्षेत्र की संबंधित कृषि उपज मंडी समितियों से मंडी अधिनियम की धारा 31 एवं 32 के प्रावधान अनुसार लायसेंस प्राप्त कर उपार्जन का यह कार्य सम्पादित करती है.

(6) वर्तमान में राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, संस्था या एजेन्सी के द्वारा नियुक्त सहकारी समितियों के माध्यम से अधिसूचित कृषि उपज का उर्पाजन का कार्य संपादित होता है, जिनके द्वारा उपार्जित स्कंध को राज्य सरकार की संस्था यथा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड तथा मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित (मार्कफेड) को हस्तांतरण कर दिया जाता है तथा इन संस्थाओं के द्वारा उपार्जित कृषि उपज के स्कंध को सेन्ट्रल पूल में भारतीय खाद्य निगम को हस्तांतरित किया जाता है. भारतीय खाद्य निगम द्वारा लोक वितरण पद्धति अंतर्गत वितरण हेतु उचित मूल्य के दुकानदारों को या ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओ.एम.एस.एस.) अंतर्गत नीलामी के माध्यम से इसे बेचा जाता है. प्रकरण अंतर्गत प्राधिकृत शासकीय संस्थाओं के द्वारा उपार्जित अधिसूचित कृषि उपज पर मंडी फीस और निराश्रित शुल्क का भुगतान संबंधित मंडियों को किया गया है परन्तु उपार्जित स्कंध को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की संस्था को हस्तांतरण करते समय अनुज्ञापत्र की प्राप्ति नहीं की गई है. इस कारण विशेषकर जब ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओ.एम.एस.एस.) अंतर्गत अधिसूचित

कृषि जिन्स का विक्रय होता है तो संबंधित कृषि उपज मंडी समिति द्वारा मंडी फीस भुगतान का सत्यापन न कर पाने से उपज क्रेता को अनुज्ञापत्र जारी किये जाने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है. यहां यह भी लेख है कि राज्य सरकार के द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, संस्था या एजेन्सी के द्वारा मंडी अधिनियम के प्रावधान अनुसार अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार हेतु लायसेंस भी प्राप्त नहीं किया गया है.

(7) उपरोक्त पैरा-6 में उल्लेखित स्थिति पर मध्यप्रदेश खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा अनुरोध किया गया कि समर्थन मूल्य पर कृषि उपज उपार्जन का कार्यक्रम अति वृहद होता है जिसे मानसून आदि को दृष्टिगत रखते हुए एक निश्चित समयावधि में पूर्ण किया जाना भी अनिवार्य होता है. उपार्जन कार्यक्रम में चूंकि प्रदेश की विभिन्न सहकारी समितियां एवं विभाग सहभागी होकर कार्य करते हैं, अत: मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 31, 32, 19(6) तथा मंडी समितियों की उपविधि सन् 2000 की कण्डिका 20(10) के प्रावधान अनुसार उपार्जित अधिसूचित कृषि उपज के परिवहन, भण्डारण, स्कंध स्थानांतरण आदि के लिये अनुज्ञा पत्र प्राप्ति की जाना व्यवहारिक नहीं हो पाता है.

(8) चूंकि समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज का उर्पाजन केन्द्र सरकार के निर्देशों राज्य सरकार द्वारा सम्पन्न किया जाता है और इस पर देय मंडी फीस एवं निराश्रित शुल्क आदि का भुगतान राज्य सरकार द्वारा नियुक्त संस्थाओं द्वारा एकल बिन्दु पर प्राप्त हो रहा है परन्तु उपरोक्त उल्लेख अनुसार अन्य प्रक्रियाओं के पालन में ही कठिनाई का अनुभव हो रहा है, जिसके परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा यह विनिश्चय किया गया है कि मंडी अधिनियम की धारा 31, 32, 19(6) एवं मंडी उपविधि सन् 2000 की कण्डिका 20(10) के प्रावधानों को समर्थन मूल्य पर उपार्जन के लिए प्राधिकृत संस्थाओं हेतु सरल और सहज बनाया जाये.

(9) अत: मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 40-क(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड एवं प्रदेश की समस्त कृषि उपज मंडी समितियों को यह निर्देशित किया जाता है कि—

9(अ).—केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज क्रय किये जाने हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, संस्था या एजेन्सी को या इनके द्वारा इस कार्य के लिये नियुक्त प्राथमिक/वृहत्ताकार कृषि साख सेवा सहकारी समितियों अथवा विपणन सहकारी समितियों को मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 31 एवं 32 अन्तर्गत मंडी कृत्यकारी के रूप में कार्य करने हेतु लायसेंस प्राप्त करना होगा परन्तु वे प्रतिभूतियों से मुक्त होगी.

9(ब).—समर्थन मूल्य पर अधिसूचित कृषि उपज के क्रय उपरान्त भण्डारण हेतु परिवहन, हस्तांतरण/स्थानांतरण हेतु केन्द्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अभिकरण, संस्था, एजेन्सी के द्वारा प्रत्येक संबंधित मंडी को प्रत्येक माह प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जायेगा कि जिसमें संबंधित मंडी के कार्य क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तुत किये गये प्रमाण-पत्र अवधि में उनके द्वारा नियुक्त एजेन्सीवार कितनी मात्रा में अधिसूचित कृषि उपज का उपार्जन किया गया, उपार्जित कृषि उपज का मूल्य तथा उस पर देय मंडी फीस, निराश्रित शुल्क एवं भुगतान की गई मंडी शुल्क तथा निराश्रित शुल्क का विवरण अनिवार्यत: अंकित होगा. इस प्रमाण-पत्र को कृषि उपज मंडी समितियों के द्वारा मंडी समितियों के लिये उपविधि सन् 2000 के प्रारूप दस के अनुरूप घोषणा-पत्र के रूप में मान्य किया जायेगा और मंडी फीस के भुगतान एवं स्कंध के परिवहन, प्राप्ति एवं हस्तांतरण हेतु यह प्रमाण रूप में मान्य होगा तथा इसके लिये कृषि उपज मंडी समिति द्वारा पृथक् से मंडी समितियों के लिये उपविधि सन् 2000 के प्रारूप नौ अनुसार अनुज्ञा-पत्र जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी.

9(स).—यदि समर्थन मूल्य पर खरीदी गयी अधिसूचित कृषि उपज का राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा ओपन मार्केट सेल्स स्कीम (ओ. एम. एस. एस.) में विक्रय किया जाता है तो संबंधित मंडी समिति को राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की प्राधिकृत संस्था द्वारा प्रेषित रिलीज आर्डर (मूलप्रति) में यह प्रमाणित किया जाना अनिवार्य होगा कि संबंधित अधिसूचित कृषि उपज का किस विपणन वर्ष में प्रदेश में उपार्जन हुआ है तथा इस पर निर्धारित मंडी फीस का भुगतान राज्य सरकार के द्वारा उपार्जन हेतु प्राधिकृत किस संस्था के द्वारा किया गया है. इस रिलीज ऑर्डर को मंडी समितियों के लिये उपविधि सन् 2000 के प्रारूप दस के अनुरूप घोषणा-पत्र मान्य करते हुए संबंधित कृषि उपज मंडी समिति जिसे यह प्रेषित किया गया है, के द्वारा उपविधि सन् 2000 के प्रारूप नौं में अनुज्ञा-पत्र जारी किया जायेगा.

उपरोक्त निर्देश खरीफ विपणन वर्ष 2010-11 तथा रबी विपणन वर्ष 2010-11 से आरम्भ होते हुए आगामी वर्षों में प्रदेश के किसानों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित अधिसूचित कृषि उपज के लिये लागू होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के त्रिपाठी, उपसचिव.